न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
15 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	01.03.2017	26.07.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री गिर्राज प्रसाद गोयल पुत्र श्री मदन लाल गोयल निवासी भेरूजी की गली बडा तख्ता टोंक जिला टोंक मैसस महालक्ष्मी किराणा स्टोर जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक।
2–मैसर्स महालक्ष्मी किराणा स्टोर जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक।
3–श्री गोविन्द नारायण पुत्र श्री लादू राम प्रोपरायटर मैसर्स रामपाल गोविन्द नारायण शेर अली खॉ की गली, बडा कुऑ टोंक राज0।
4–मैसर्स रामपाल गोविन्द नारायण शेर अली खॉ की गली, बडा कुऑ टोंक राज0।
5–श्री पवन कुमार प्रोपरायटर मैसर्स श्री कृष्णा एजेन्सीज दुकान नं. 11, नरसिंह विहार, 100 फीट रोड, न्यू लोहा मण्डी , बेनाड रोड, जयपुर राज0।
6 - मैसर्स श्री कृष्णा एजेन्सीज दुकान नं. 11, नरसिंह विहार, 100 फीट रोड, न्यू लोहा मण्डी बेनाड रोड, जयपुर राज0।
7–श्री साहिल सचदेव नॉमिनी मैसर्स शाने पंजाब टी इण्डिया प्रा0 लि0 गली नं0 8, सुरजीत सिह कॉलोनी, खालसा नगर रोड श्री गंगानगर राज0।
8–मैसर्स शाने पंजाब टी इण्डिया प्रा0 लि0 गली नं08, सुरजीत सिंह कॉलोनी, खालसा नगर रोड श्री गंगानगर राज0।

............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री विजेन्द्र गोयल उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 26.07.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 23.07.2016 को समय 02:30 पीएम पर मैसर्स महालक्ष्मी किराणा स्टोर जवाहर बाजार जिला टोंक पर पहुंचा वहां पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विकता की हैसियत से श्री गिर्राज प्रसाद गोयल पुत्र श्री मदन लाल गोयल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स महालक्ष्मी किराणा स्टोर जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ घी, तेल, मसाले, व अन्य खाद्य प्रदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, श्री गिर्राज प्रसाद गोयल पुत्र श्री मदन लाल गोयल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर ने श्री गिर्राज प्रसाद गोयल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में कन्फैक्शनरी, घी, तेल, मसाले, के साथ-साथ दुकान की रैक में लगभग 30 मूल पैक चाय **चाय(Shane Panjab)** के पैक्ट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 250 ग्राम पैक रखा हुये थे। जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री गिर्राज प्रसाद गोयल पुत्र श्री मदन लाल गोयल को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री गिर्राज प्रसाद गोयल पुत्र मदन लाल गोयल एव गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।दुकान की रैंक में रखे लगभग 250 ग्राम मूल पैक के लगभग 30 नग पैकेट पैक्ड अवस्था में **चाय(Shane Panjab)** के बैच नम्बर बी.के.डी.-07 एवं पैकिंग की दिनांक मई 2016 थी, की ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 250 ग्राम पैक के 8 मूल पैक वास्ते नमूना जांच मूल अवस्था में खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **चाय(Shane Panjab)** के 8 मूल पैक प्रत्येक 250 ग्राम पैक को दो-दो नग के बराबर-बराबर ज्यों का त्यों मूल अवस्था में अलग-अलग बराबर-बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाय प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-1406 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-1406 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री गिर्राज प्रसाद गोयल पुत्र श्री मदन लाल गोयल मैसस महालक्ष्मी किराणा स्टोर जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक ने मौके पर बतोर मैसर्स रामपाल गोविन्द नारायण शेर अली खॉ की गली, बडा कुआँ टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स रामपाल गोविन्द नारायण शेर अली खॉ की गली, बडा कुआँ टोंक को पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्री कृष्णा एजेन्सीज दुकान नं. 11, नरसिंह विहार, 100 फीट रोड, न्यू लोहा मण्डी बेनाड रोड, जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स श्री कृष्णा एजेन्सीज दुकान नं. 11, नरसिंह विहार, 100 फीट रोड, न्यू लोहा मण्डी बेनाड रोड, जयपुर को पत्र प्रेषित करने पर बतौर वारन्टी मैसर्स शाने पंजाब टी इण्डिया प्रा0 लि0 गली नं08, सुरजीत सिंह कॉलोनी, खालसा नगर रोड श्री गंगानगर राज0 का खरीद बिल प्रस्तुत कर क्रय करना बताया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/16/3629 दिनांक 15.09.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/432/एक्ट/2016 /480 दिनांक 04.08.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **चाय(Shane Panjab)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री विजेन्द्र गोयल उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **चाय(Shane Panjab)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52(सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **चाय(Shane Panjab)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 40,000/– (अक्षरे चालीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26..07.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(सुरेश चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक